

कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

—::ज्ञापन::—

क्रमांक / 19461 /बाढ राहत /2017

जांजगीर, दिनांक 11.12.17,

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र


जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

विषय— सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी)के अंतर्गत बनाये गये मैनुआल की जानकारी के संबंध में।

—00—

पत्रानुसार इस कार्यालय के बाढ राहत शाखा का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी)के अंतर्गत बनाये गये मैनुआल की जानकारी संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। कृपया जिले की वेबसाईट में अपडेट करने का कष्ट करे।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।


  
डिप्टी कलेक्टर  
जांजगीर-चाम्पा

पृष्ठां. क्रमांक / 19462 /बाढ राहत /2017

जांजगीर दिनांक 11.12.2017

प्रतिलिपि :-

प्रभारी अधिकारी सूचना के अधिकार शाखा जिला कार्यालय जांजगीर-चाम्पा को सादर सूचनार्थ ।

  
डिप्टी कलेक्टर  
जांजगीर-चाम्पा


## कार्यालय कलेक्टर (बाढ राहत) जॉजगीर-चाम्पा (छ0ग0)

**सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी)के अंतर्गत बनाये गये मैनुआल की जानकारी**

क्रमांक	मैनुआल	जानकारी
01	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	प्रभारी अधिकारी -श्री ए0के0 खलखो (डिप्टी कलेक्टर) बाढ राहत शाखा द्वारा जिला जॉजगीर-चाम्पा में आने वाली आपदा जैसे बाढ, सूखा, भुकंप, भू-स्खलन, गैस आदि से बचाव हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत कार्यवाही किया जाता है।
02	शक्तिया एवं कर्तव्य	वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों एवं दिशा निर्देशों का पालन करना। आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में समुचित व्यवस्था करना। रा0पु0परि0 6-4 के तहत आबंटित राशि के व्यय की जानकारी प्रत्येक तहसील से प्राप्त करना। जन शिकायत निवारण। प्रतिवेदन प्रेषण। समय समय पर शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।
03	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेश प्राप्त होने पर शाखा द्वारा तदनुसार कार्यवाही की जाती है।  कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।
04	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	बाढ से निपटने के लिए जिला स्तर पर बाढ कंट्रोल रूम की स्थापना किया गया। जिसमें राउंड क्लाक वाईस अधिकारियों/कर्म0 की ड्यूटी लगाई गई। आपदाओं से निपटने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार किया गया। नगर सैनिकों से समन्वय कर माक ड्रिल व माक एक्सर साईज करवाया गया। जिला स्तर के अधिकारी को आपदा से बचाव संबंधित प्रशिक्षण एवं आवश्यक जानकारी दिया गया।
05	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन कर्मचारी द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, और अभिलेख	भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेश प्राप्त होने पर शाखा द्वारा तदनुसार कार्यवाही की जाती है।
06	ऐसे दस्तावेज के जो उसके द्वारा धारित या नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण	शाखा द्वारा संबंधित नस्तीयां संधारित है एवं आदेशों के पालन करने के संबंध में प्रस्तुत नस्तीयों को शाखा लिपिक द्वारा संधारित एवं रखरखाव किया जाता है

7	ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उनके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	निरंक				
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी, सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण की क्या इन बोर्डों, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।	नहीं				
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका।	क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम		
		1.	डॉ.एस.भारतीदास	कलेक्टर		
		2.	श्री ए.के.खलखो	डिप्टी कलेक्टर		
		3.	श्री उज्जवल तिवारी	सहा.ग्रेड-3		
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक परिश्रमिक।	क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन	महंगाई व अन्य भत्ता
		1.	डॉ.एस.भारतीदास	कलेक्टर		शासन के आदेशानुसार
		2.	श्री ए.के.खलखो	डिप्टी कलेक्टर		शासन के आदेशानुसार
		3.	श्री उज्जवल तिवारी	सहा.ग्रेड-3	2171 9.00	शासन के आदेशानुसार
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किए गए आहरणों संबंधि रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबंटित बजट।	निरंक				
12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्योरा।	निरंक				
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियासत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्त कत्ताओं का विवरण।	निरंक				

14	अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्यौरा।	नहीं		
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हो।	कलेक्टर कार्यालय जांजगीर के जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क अदा करने पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।		
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	क्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		1.	श्री डी.के.सिंह अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा	श्री.एस.अहिरवार अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा
17	अन्य जानकारीयां।	यथा समय अपडेट किया जायेगा।		

  
 डिप्टी कलेक्टर  
 जांजगीर-चांपा